न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 08/2016/(2016/00160) जिला–अजमेर

1. श्री चेतनपुरी पुत्र श्री कल्याणपुरी (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1. श्रीमती सुगना पत्नी श्री चेतनपुरी
   2. कंचन पुत्री श्री चेतनपुरी
   3. आनन्द पुत्र श्री चेतनपुरी

   समस्त जाति गुसाई, निवासी तबीजी, तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी म.नं. 2/1799 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर जरिये मुख्त्यारआम मूलाभारती पुत्र श्री प्रेमभारती जाति गुसाई, निवासी तबीजी रोड, मियांपुर तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. श्री महेन्द्र सेन पुत्र श्री पूसालाल सेन जाति नाई निवासी एफ 46 चन्द्रवरदायी नगर, ब्यावर रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत तबीजी जरिये सरपंच तहसील व जिला अजमेर।

—————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 24–09–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2012 बउनवान श्री महेन्द्र सेन बनाम ग्राम पंचायत तबीजी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजित सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री शम्भू सिंह चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 02.05.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा निरस्त नामान्तरकरण संख्या 1364 (दिनांक 10–9–2012) नामान्तरकरण निरस्त दिनांक 5.10.2012 के विरूद्ध अपील पेश की जिसे उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा गैर कानूनी रूप से

अपील स्वीकार कर तहसीलदार, अजमेर को पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण की कार्यवाही एक माह में सम्पादित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कमोबेश अपील के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट्स की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात है जिसके खाता नम्बर नये 233 के खसरा नम्बर 1136, 1138, 1240, 1241, 1242, 1243, 1256, 1264 एवं 1265 कुल किता 9 रकबा 14–13–10 बीघा के वर्किंग जमाबंदी में दर्ज प्रविष्ठि के आधार पर नाथूपुरी व जेठू पुरी पुत्रान श्री शंभूपुरी 1/2 हिस्सा तथा कल्याण पुरी पुत्र धूकल पुरी 1/2 हिस्सा, मु0 बदामी बेवा शंकर पुरी 1 हिस्सा दर्ज है एवं श्रीमति बदामी बेवा श्री शंकरपुरी का स्वर्गवास हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1364 दिनांक 10.9.2012 को ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर जारी सजरा दिनांक 5.7.2012 के आधार पर तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर सजरा अंकित किया गया जिनमें कुछ पक्षकारान को छिपाया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1364 के अनुसार श्रीमति बदामी की विरासत में चेतनपुरी पुत्र कल्याणपुरी के नाम 1/2 हिस्सा तस्दीक किया गया एवं नवलपुरी उर्फ नौरतपुरी दत्तक पुत्र नाथूपुरी, भंवरगिरी वल्द हीरा गिरी व जेठूपुरी वल्द शंभूपुरी 1/2 हिस्सा तस्दीक किया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण के आधार पर नौरत भारती पुत्र प्रेम भारती ने चेतनपुरी का मुख्त्यार अंकित करते हुए उक्त चेतनपुरी का 1/2 हिस्से बाबत दिनांक 9.7.2012 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 महेन्द्र सेन के हक में नामान्तरकरण संख्या 1364 दिनांक 10.9.2012 को तस्दीक होकर चेतनपुरी श्रीमति बदामी की विरासत से उक्त भूमि के स्वत्व प्राप्त करने के दो माह पूर्व ही निष्पादित कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 10.9.2012 को ही नामान्तरकरण संख्या 1365 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक कर दिया गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब ग्राम पंचायत की जानकारी में आया कि त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र के आधार पर गलत सजरा जारी कर दिया गया है और त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर बदामी की विरासत का त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर श्रीमती बदामी की विरासत का त्रुटिपूर्ण रूप से नामान्तरकरण संख्या 1364 तस्दीक कर दिया गया है, जो वारिसान नहीं है उनके नाम नामान्तरकरण तस्दीक

कर दिया गया और जो वारिसान है उनके नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त कानूनी त्रुटि रह जाने के कारण ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1364 को सुओमोटो रिव्यू करते हुए पुनः जांच कर तथ्य सामने आने पर नामान्तरकरण संख्या 1364 को पंचायत में उपस्थित पंचगणों द्वारा दिये गये फैसले के आधार पर 5.10.2012 को निरस्त किया गया। उक्त नामान्तरकरण की आड़ में तस्दीक त्रुटिपूर्ण पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1365 दिनांक 5.10.2012 को भी निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 23/2012 प्रस्तुत की जिसे उन्होंने स्वीकार कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—09—2015 द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को प्रतिप्रेषित कर दिया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 1364 दिनांक 5.10.2012 को निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं है, न ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है क्योंकि नौरत भारती पुत्र प्रेम भारती द्वारा अपने आपको श्री चेतनपुरी का मुख्त्यार अंकित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में श्री बदामी की विरासत से चेतनपुरी को प्राप्त 1/2 हिस्से बाबत विक्रय पत्र दिनांक 9.7.2012 को निष्पादित किया गया था जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति अर्थात श्रीमति बदामी की विरासत से 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1364 चेतनपुरी के हक में दिनांक 10.9.2012 को तस्दीक हुआ था जिससे स्पष्ट है कि चेतनपुरी को विरासत से स्वत्व प्राप्त होने के दो माह पूर्व ही तथाकथित मुख्त्यारआम नौरतपुरी द्वारा चेतनपुरी के हिस्से बाबत विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख 1 के हक में निष्पादित कर दिया गया जो कतई संभव नहीं है क्योंकि श्री चेतनपुरी ने दिनांक 9.7.2012 को विवादित भूमि के स्वत्व ही निहित नहीं हुए थे, न ही दिनांक 9.7.2012 को चेतनपुरी विवादित भूमि का खातेदार था जिससे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र प्रथम दृष्टया शून्य होना सिद्ध होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को धारा 96 जा0दी0 के तहत अपील प्रस्तुती की कतई इजाजत प्रदान नहीं की जा सकती थी। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1364 में अंकित सजरे में भंवर गिरी वल्द हीरा गिरी कहीं पर भी अंकित नहीं है फिर भी नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में श्रीमति बदामी की विरासत में भंवर गिरी वल्द हीरा गिरी अंकित किया गया है। यह किस प्रकार सही अंकित किया गया है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है फिर भी नामान्तरकरण संख्या 1364 एवं 1365 को सही रूप से तस्दीक होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण पर अंकित सजरे अनुसार जेठूपुरी पुत्र शंभुपूरी नाऔलाद फौत होना अंकित किया गया है फिर भी मृतक व्यक्ति के नाम उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जैसा कि कॉलम 9 में प्रविष्टि अंकित है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 1364 प्रथमदृष्टया शून्य नामान्तरकरण था जिसका पुर्नविलोकन किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से निरस्त किया गया जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 5.10.2012 में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि होना अंकित नहीं किया इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नवलपुरी उर्फ नौरतपुरी एक ही व्यक्ति होना तथा दत्तक पुत्र नाथूपुरी होना कतई सिद्ध नहीं किया गया। न ही यह सिद्ध किया गया कि नौरत भारती पुत्र प्रेम भारती एवं नवलपुरी उर्फ नौरतपुरी एक ही व्यक्ति है या पृथक–पृथक व्यक्ति है जो नवल पुरी उर्फ नौरतपुरी दत्तक पुत्र नाथूपुरी के रूप में विरासत में हिस्सा प्राप्त कर रहा है तथा नौरत भारती पुत्र प्रेम भारती के रूप में अपने आपको चेतनपुरी का मुख्त्यारआम अंकित करते हुए चेतनपुरी को जरिये त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 1364 श्रीमती बदामी की भूमि में विरासत के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने के दो माह पूर्व ही विवादित भूमि को विक्रय कर रहा है इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख तक नहीं किया है क्योंकि उक्त तथ्यों की जांच होने पर नामान्तरकरण संख्या 1364 स्वतः ही त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा पारित पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 5.10.2012 न्यायिक निर्णय की परिभाषा में आता है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना पुर्नविलोकन कर निर्णय पारित कर दिया गया जो कतई त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के सतक्ष अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री महेन्द्र सेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसका आधार यह था कि श्रीमती बदामी की विरासत में चेतनपुरी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1364 दिनांक 10.9.2012 को प्राप्त 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये तथाकथित मुख्त्यारआम नौरतभारती पुत्र प्रेम भारती के जरिये दिनांक 9.7.2012 को क्रय की गई। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु एवं तथ्य को अधिनस्थ न्यायलय द्वारा नजरअन्दाज कर दिया क्योंकि रेकार्डेड खातेदार ही आराजी का विक्रय कर सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में श्री चेतनभारती के नाम श्रीमती बदामी की विरासत से 1/2 हिस्सा जरिये त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 1364 दिनांक 10.9.2012 को प्राप्त हुआ था अर्थात दिनांक 10.9.2012 से पूर्व चेतनपुरी में विवादित भूमि के काश्तकारी स्वत्व, हक एवं अधिकार निहित नहीं थे फिर भी उसके तथाकथित मुख्त्यारआम द्वारा दो माह पूर्व दिनांक 9.7.2012 को ही विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जिससे उक्त

विक्रय पत्र प्रथम दृष्टया शून्य दस्तावेज है। इस तथ्य को नजरअन्दाज कर तथाकथित शून्य एवं अवैध विक्रय पत्र को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए आदेश अन्तर्गत द्वितीय अपील पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा यह स्वंय स्वीकार किया गया है कि त्रुटिपूर्ण रूप से सजरा जारी किया गया है एवं नामान्तरकरण भी त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक किया गया है। पक्षकारान द्वारा सजरे मे वारिसान के नाम छिपाये गये है एवं जो वारिसान नहीं है उनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज हो गया उक्त स्वयं स्वीकृति के आधार पर पुर्नविलोकन आदेश जारी किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने स्वयं अपनी स्वीकृति में किसी भी प्रकार की त्रुटि होना अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया न ही विवेचन किया गया जिससे मात्र यह अंकित कर देने से कि नामान्तरकरण संख्या 1364 एवं 1365 में कोई एरर परिलक्षित नहीं होती, निर्णय पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कानूनी त्रुटियां ग्राम पंचायत ने पुर्नविलोकन आदेश में अंकित की है उन त्रुटियों बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार की गई कानूनी त्रुटियां इस कारण से त्रुटियों की परिभाषा में नहीं आती है। इस कारण अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2015 निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है एवं ना ही ये प्रभावित पक्षकार है। विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार कल्याणपुरी पुत्र धूकलपुरी की मृत्यु के पश्चात विरासत नामान्तरकरण 332 दिनांक 20.6.2002 खारिज होने के उपरान्त चेतनपुरी पुत्र कल्याणपुरी के द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील संख्या 5/2000 उनवान चेतनपुरी बनाम सरकार प्रस्तुत हुई उक्त अपील में कल्याणपुरी की पुत्रियों क्रमशः श्रीमती चन्द्रकान्ता, श्रीमति प्रकाश देवी एवं श्रीमति प्रभा ने अपने हक व हिस्से का परित्याग न्यायलय के समक्ष अपने भाई चेतनपुरी पुत्र कल्याणपुरी के पक्ष में किया गया था। इसी आधार पर अपील संख्या 5 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण चेतनपुरी के पक्ष में निष्पादित करने का आदेश दिनांक 16.4.2003 को पारित किया था। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 641 दिनांक 15.5.2006 स्वीकृत किया गया उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावशील है जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ग्राम पंचायत ने भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को गलत मानते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत लिखित में स्वीकारोक्ति होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषनीय

नहीं होने से खारिज योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट सद्भाविक क्रेता है जिसने प्रतिफल राशि चुकता कर पंजीबद्ध बेनामे के आधार पर भूमि क्रय कर कब्जा व आधिपत्य प्राप्त कर लिया है, अपीलार्थीगण का उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा पंजीबद्ध बेनामे को जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक इस नामान्तरकरण प्रक्रिया को रोके जाने का अधिकार अपीलार्थीगण को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोन्डेन्ट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पुर्नरावलोकन किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 1364 श्रीमती बदामी बेवा शंकरपुरी के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा जारी किया जाकर उसी सजरे के आधार पर चेतनपुरी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था ग्राम पंचायत बैठक में किस व्यक्ति द्वारा उज्र किया गया? कौनसे वारिसान छोड़ दिये गये है? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यदि कोई वारिसान छूट भी गया था तो पक्षकार को अपील करने का अधिकार था। परन्तु इस आधार पर पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा पारित पुनरावलोकन आदेश दिनांक 5.10.2012 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2015 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलांट चेतनपुरी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09–07–2012 के जरिये विवादग्रस्त आराजी क्रय की है जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10–9–2012 को नामान्तरकरण संख्या 1365 तस्दीक हुआ। किन्तु ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए सजरे के आधार पर पुनरावलोकन कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 1364 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमति बदामी बेवा शंकरपुरी के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा जारी किया गया है व उसी सजरे के आधार पर चेतनपुरी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत बैठक में किस व्यक्ति द्वारा उज्र किया गया? कौनसे वारिसान छोड़ दिये गये है? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यदि कोई वारिसान छोड़ भी दिया गया था तो उसे अपील करने का प्रावधान है परन्तु इस आधार पर पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार के विवादित नामान्तरकरण में सुनवाई एवं निर्णय का क्षैत्राधिकार नहीं था, उन्हें प्रकरण तहसीलदार के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित कर देना चाहिये था क्योंकि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित प्रकरण का

निस्तारण का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को प्रदत्त है ग्राम पंचायत को नहीं। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–9–2015 अनुसार तहसीलदार अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु उपस्थित होकर तहसीलदार अजमेर के निर्णय उपरान्त कोई आपत्ति हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–9–2015 में तहसीलदार, अजमेर को दोनों पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह में नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारही एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2012 बउनवान श्री महेन्द्र सेन बनाम ग्राम पंचायत व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर